झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना

दिनांक–...... / ...... / 2023

संख्या:–12 / आशु0से0–13–03 / 2021.................. / – भारतीय संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–

(i) यह नियमावली झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के नियम–4(iii) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–

"शैक्षणिक योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री रखता हो।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त सीधी भर्ती के लिए झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"शैक्षणिक योग्यता– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री रखता हो।

अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।"

3. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 के नियम–7 (परीक्षा का स्वरूप) के अधीन द्वित्तीय चरण (लिखित परीक्षा का पठयक्रम) के अंतर्गत द्वित्तीय पत्र में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–

"(परीक्षा का स्वरूप) के अधीन द्वित्तीय चरण (लिखित परीक्षा का पठयक्रम) के अंतर्गत द्वित्तीय पत्र:–

इस पत्र में उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी(मुण्डा) / हो / खड़िया / कुँडूख(उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (पूर्णांक–300 अंक) पूछे जायेंगे। इस परीक्षा की अवधि 02(दो) घंटा की होगी।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"(परीक्षा का स्वरूप) के अधीन द्वित्तीय चरण (लिखित परीक्षा का पठयक्रम) के अंतर्गत द्वित्तीय पत्र:–

इस पत्र में हिन्दी / अंग्रेजी / उर्दू / संथाली / बंगला / मुण्डारी(मुण्डा) / हो / खड़िया / कुँडुख(उरांव) / कुरमाली / खोरठा / नागपुरी / पंचपरगनिया / उड़िया / संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न (पूर्णांक–300 अंक) पूछे जायेंगे। इस परीक्षा की अवधि 02(दो) घंटा की होगी।"

4. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) नियमावली, 2021 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे।

5. विभागीय संलेख ज्ञापांक–1272 दिनांक–02.03.2023 के द्वारा "झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक– 02.03.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या 33 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(वंदना दादेल)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–12/आशु0से0–13–03/2021...1453.../राँची, दिनांकः–10/03/2023ई0।

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

9.3.23
सरकार के प्रधान सचिव।